

नई दिल्ली, दिनांक 09 अगस्त, 2021

(असाधारण भाग I—खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021: भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

| प्रतिभूति का नाम                   | मूल निर्गम की तारीख | मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन) | परिपक्वता की तारीख | नीलामी का आधार | नीलामी की विधि | अधिसूचित राशि (करोड़ में) |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026        | 12 अप्रैल, 2021     | 05-00-00                | 12 अप्रैल, 2026    | मूल्य          | समान           | 11,000                    |
| भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2033 | 22 जून, 2020        | 13-03-00                | 22 सितम्बर, 2033   | मूल्य          | समान           | 3,000                     |
| 6.64% सरकारी प्रतिभूति 2035        | 12 अप्रैल, 2021     | 14-02-04                | 16 जून, 2035       | मूल्य          | समान           | 10,000                    |
| 6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050        | 02 नवंबर, 2020      | 30-01-15                | 17 दिसम्बर, 2050   | मूल्य          | विविध          | 7,000                     |

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति/प्रतिभूतियों में 8,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिनाव बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 13 अगस्त, 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर्डेक्टिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 13 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर 13 अगस्त, 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 17 अगस्त, 2021 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

| प्रतिभूति का नाम                   | कूपन दर (%) | अंतिम कूपन भुगतान की तारीख | किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है | कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह) |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026        | 5.63        | नई प्रतिभूति               | 16 अगस्त, 2021                      | 12 अक्टूबर और 12 अप्रैल          |
| भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2033 | परिवर्तनीय# | 22 मार्च, 2021             | 16 अगस्त, 2021                      | 22 सितम्बर और 22 मार्च           |
| 6.64% सरकारी प्रतिभूति 2035        | 6.64        | 16 जून, 2021               | 16 अगस्त, 2021                      | 16 दिसम्बर और 16 जून             |
| 6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050        | 6.67        | 17 जून 2021                | 16 अगस्त, 2021                      | 17 दिसम्बर और 17 जून             |

#: भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2033.

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की कूपन दर जो मूल दर होगी तथा यह 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारित औसत आय (डब्ल्यू ए वाई) की औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा 122 आधार बिन्दुओं के नियत प्रसार के समतुल्य होगी। यह प्रसार बांड की पूरी अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांड की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामियों को बंद कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉन-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाई टी एम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष हुंडी/हुंडियों हो, तो परिपक्वता पर आय की दरें वही होंगी जो पिछले कार्य दिवस पर थीं।

(iv) कूपन अवधि 22 मार्च, 2021 से 21 सितम्बर, 2021 के लिए आधार दर 3.48 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए अस्थायी दर वाले बांड 2033 पर ब्याज दर 4.70 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

**आशीर्वादी**  
(आशीर्वादी वर्षावानी)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार